<u>भारतीय मानक ब्यूरो</u> (वित्त विभाग)

संदर्भ :वित्त/10/ पारिवारिक पेंशन/2023

17.04.23

विषय: पारिवारिक पेंशन पर आयकर/टीडीएस की कटौती न करने के उद्देश्य से घोषणा/वचन पत्र प्रस्तुत करना

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, पारिवारिक पेंशनभोगी को भुगतान की जाने वाली पारिवारिक पेंशन को "अन्य आय" के रूप में माना जाता है। इसलिए, भारतीय मानक ब्यूरो के सभी पारिवारिक पेंशनभोगियों को यह अवसर दिया जा रहा है कि वे स्वयं आयकर कानूनों/नियमों का पालन करने के लिए संलग्न प्रारूप (अनुबंध क) में घोषणा/वचन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। घोषणा/वचन पत्र प्रस्तुत करने पर, वित्त विभाग ऐसे पारिवारिक पेंशनभोगियों को पारिवारिक पेंशन के भुगतान पर स्रोत पर आयकर कटौती (टीडीएस) नहीं काटेगा, जो उक्त घोषणा पत्र (undertaking) प्रस्तुत करते हैं। वित्तीय वर्ष (FY) के प्रारंभ होने के बाद प्रत्येक वर्ष यथाशीघ्र वित्त विभाग को घोषणा/वचन पत्र प्रस्तुत किया जाना है। वित्त विभाग द्वारा घोषणा/वचन पत्र प्राप्त होने तक आयकर/टीडीएस काटा जाता रहेगा और घोषणा प्राप्त न होने की स्थिति में लागू दर पर टीडीएस काटा जाएगा।

विधिवत भरे हुए घोषणा/वचन पत्र को ईमेल द्वारा fin@bis.gov.in/pensioners@bis.gov.in या डाक/कूरियर द्वारा वित्त विभाग को भेजा जा सकता है।

> हस्ता (गुरप्रीत सिंह) निदेशक (वित्त)

इंट्रानेट के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो के सभी अधिकारीगण/कर्मचारीगण/पारिवारिक पेंशनभोगी को सूचनार्थ एंवम अनुपालन हेतु परिचालित

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग -भारतीय मानक ब्यूरो के इंट्रानेट पर डालने के **साथ ही पेंशनभोगियों** के **पेज पर डालने के लिए**

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से प्राप्त पारिवारिक पेंशन की राशि के लिए स्वयं आयकर कानूनों/नियमों का पालन करूंगा और आयकर कानूनों/नियमों के अनुसार आयकर के सही आकलन और भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होने का वचन दूंगा। इसलिए, भारतीय मानक ब्यूरो मुझे पारिवारिक पेंशन के भुगतान पर टीडीएस की कटौती ना करे / नहीं कर सकता है।

> परिवार पेंशनभोगी का नाम: पीपीओ नंबर: पता: मोबाइल नंबर:

BUREAU OF INDIAN STANDARDS (FINANCE DEPARTMENT)

Our Ref: FIN/10/Family Pensioners

17.04.23

Subject: Submission of Declaration/Undertaking for the purpose of non-deduction of TDS on family pension

As per the provisions of Income Tax Act 1961, the family pension paid to a family pensioner is treated as "Other Income." Therefore, all family pensioners of BIS are being given an opportunity that they can submit declaration/ undertaking in the enclosed format (Annexure A) for abiding by the Income Tax laws/rules themselves. On submission of the declaration/ undertaking, Finance Department will not deduct the Tax Deducted at Source (TDS) on payment of family pension to such family pensioners, who submit the said undertaking. The declaration/ undertaking is to be submitted to Finance Department at the earliest every year after commencement of the Financial Year (FY). The TDS shall continue to be deducted till receipt of the declaration/ undertaking by Finance Department and in case of non-receipt of the declaration, TDS at the applicable rate shall be deducted.

The duly filled in declaration/ undertaking can be sent to Finance Department by email to pensioners@bis.gov.in/fin@bis.gov.in or post/courier.

Sd/-(Gurpreet Singh) Director (Finance)

Circulated through BIS Intranet to all Officers/Staff/Family pensioners of BIS – for information and compliance

Copy to: ITSD for uploading on BIS INTRANET as well as **on Pensioners' page**

Annexure A

DECLARATION

I hereby declare that I shall abide by the Income Tax laws/rules myself for the sum of family pension received from Bureau of Indian Standards (BIS) and undertake to be personally liable for the correct assessment and payment of the income tax in accordance with the Income Tax laws/rules. BIS may, therefore, not deduct TDS on payment of family pension to me.

Name of the family pensioner: PPO No.: Address: Mobile No: